



कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

नोटिस का तामिला नहीं कराया जा सका है। चौकीदार राजेन्द्र पासवान के द्वारा लिखित में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्रामीणों से पुछ ताछ करने पर उनके द्वारा बतलाया गया है कि इस नाम का कोई ब्यक्ति इस गांव में निवास नहीं करता है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा युचरुमाड थाना नं० 319, खाता सं० 23, खेसरा सं० —, रकबा 0.82 से संबंधित जमाबंदी रैयत चंदू साव पिता सोमारू साव के नाम से ग्राम युचरुमाड में ना तो ऑफलाईन और ना ही ऑनलाईन पंजी-2 में कोई जमाबंदी संधारित है। अतः उक्त वाद बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत चलने योग्य नहीं है। अतः इसे समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में उक्त भूमि पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) की कार्रवाई समाप्त की जाती है।


DSE


Li


अंचल पदाधिकारी
उत्तरपुर

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पलामू एवं हजारीपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
चंद्र साव	कुपरासा	319	23	—	0.82	औसमजराआ	जाला
पिता सोमर साव						मालिक	बिज्या उपलब्ध नहीं है।

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :-

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- पंजी II आरुलाइन पंजी-III अवस्था में होने के कारण भेजा स्पष्ट नहीं है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :- पंजी II स्पष्ट नहीं है।

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :- NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिबंधित सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :- स्पष्ट नहीं है।

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये से कम या इससे अधिक) :- NA

अवैध जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से :-

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित बंदोबस्ती पंजी से :-

(ग) दाखिल-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

मॉन पैजी II

स्पष्ट नहीं है

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1948 के पूर्व से कायम है :- नहीं

(ख) क्या दिनांक-01.01.1948 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :-

11. क्या दिनांक-01.01.1948 के बाद से 1955-58 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :-

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड-बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

189/2014-18 (अनुमंडल द्वारा 4(h) B.L.R Act 1950) के तहत संबंधित भूमि ना नोटिस जारी। अंचल न्यायलय के चैकमैन से क्लर्क वाइड उनसे द्वारा सुनिश्चित किया गया कि नोटिस में दर्ज भूमि के संबंध में उस राज्य आयोगों द्वारा बताया गया कि इस बात का व्यक्ति नहीं है पर बिना भूमि नहीं किया कि इस बात को तब भूमि पर जोर-नोट रखा है। गुरु लगे व्यक्ति ने भी अनुसार भूमि और मजतजा वाले नहीं है। मॉनदार ना मॉन न आगलाइव पोर्टल पर दर्ज है और न ही साबित है। मॉन पंजी ना विवरण उपलब्ध है। अतः इस वाद पर 4(h) नही कारबाही काम करना उचित फील होता है। अतः अपेक्ष करवाई है जांच प्रतिवेदन तत्पर समर्पित।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जौचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व अतिरिक्त द्वारा प्रतिवेदन जाँच प्रतिवेदन का जाँच किया, सही पाया। अतः अपेक्ष जमाबंदी को बंद करने का अनुशंसा किया जा सकता है।

मंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

भूमि-सुधार उप समाहर्ता,
छत्तरपुर।

अनुमंडल पदा.,
छत्तरपुर।

अपर समाहर्ता,
पलामू।

उपायुक्त,
पलामू।

संदिग्ध/ संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- पंडू (गण) पिता शोभादा साव
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या पृष्ठ सं. पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खसरा सं.	रकबा
<u>पुनरवाडी</u>	<u>319</u>	<u>23</u>		<u>0.82</u>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- पंजी II स्पष्ट नहीं है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- जोरमजरा भावि
5. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- पंजी II स्पष्ट नहीं है।
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भू-बंदाबस्ती) :-
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न/ बंदोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)

सांग पंजी II स्पष्ट नहीं है।

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	278754	31/3/2000	1990
2	1281655	2/3/2008	
3	309440	31/3/1978	
4	517321	2/3/1979	

[Signature]

[Signature]

अधिकारी
उत्तर

अभिलेख, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं० 189 / 20¹⁷⁻¹⁸ (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम... चंदू साव

पिता - सोमरु साव

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा पुष्पगुप्त थाना नं०.....
खाता सं० 23 खेसरा नं० — रकबा 82 से संबंधित आपके नाम से
ह० नं० 5 के पंजी-II भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्ट्या राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/22 को समय 11:00 बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा
कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।



अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।